

# उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

## U.P. Power Transmission Corporation Ltd.

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U40101UP2004SGC028687

GSTN: 09AAACU8823E1Z9

कारपोरेट टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल  
द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार  
14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001  
रैक्स संख्या - 8320



Corporate Tax & GST Cell  
11<sup>th</sup> Floor, Shakti Bhawan Extn.  
14-Ashok Marg, Lucknow-226001  
E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

पत्रांक / का०टैक्स एवं जी०एस०टी० / 2020

दिनांक 14/05/2020

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी  
उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।

मुख्य अभियन्ता (डी० एण्ड पी०) / 765 केवी / सी०  
एण्ड सी० / सी०एम०यू०डी० जानपद (i) / (ii)  
पारेषण मध्य / पूर्व / पश्चिम / दक्षिण  
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०  
लखनऊ / इलाहाबाद / मेरठ / आगरा।

कृपया जी०एस०टी० दिशा-निर्देश सं० 19/का०टैक्स एवं जी०एस०टी०/2020 दिनांक 16.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से निर्देशित किया गया था कि जिन कार्मिकों को विभागीय वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है एवं इस सुविधा के सापेक्ष कार्मिकों से कुछ राशि निगम द्वारा वसूली जाती है, अतः वसूली गयी राशि पर जी०एस०टी० देय होगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में संज्ञान में आया है कि प्रायः वाहन का भुगतान करने वाली इकाई एवं कार्मिक को वेतन देने वाली इकाई दोनो अलग-अलग होती है। ऐसी स्थिती में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना एवं टैक्स इनवॉइस निर्गत करने में व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अतः ऐसी परिस्थिती में वेतन भुगतान करने वाली इकाई वाहन के सापेक्ष काटी गयी राशि को वाहन के भुगतान करने वाली इकाई को ATD/IUT के माध्यम से हस्तान्तरित किया जायेगा। तदनुसार कार्मिक को टैक्स इनवॉइस निर्गत करना एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का दायित्व वाहन के भुगतान करने वाली इकाई का होगा।

उपरोक्त प्रक्रिया को दिशा-निर्देश सं० 19/का०टैक्स एवं जी०एस०टी०/2020 दिनांक 16.03.2020 में बतायी गयी प्रक्रिया के परिशिष्ट माना जायेगा।

(ए० के० गुप्ता)  
अधिसासी निदेशक (वित्त एवं लेखा)

दिशा-निर्देश सं०: 19-A का०टैक्स एवं जी०एस०टी०/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) / वित्त / आपरेशन / कार्य एवं परि० / एस०एल०डी०सी / वाणिज्य एवं नियोजन उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन / गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य / पूर्व / पश्चिम / दक्षिण, लखनऊ / इलाहाबाद / मेरठ / आगरा।
4. उप महाप्रबन्धक (निधि) / मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई (पारेषण मुख्यालय), उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
5. अधिसासी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

सलग्नक:-- यथोपरोक्त

(ए० के० गुप्ता)  
अधिसासी निदेशक (वित्त एवं लेखा)